प्रकरण क्र0 6159/2018 **गुरूमेल सिंग सैनी वि. डायनेमिक इंजीनियर्स**

Witness No. ....02..... for...........................परिवादी साक्षी....................Deposition taken……….

The .....24.10.2024....day of ....गुरूवार.........Witness's apparent age.......35 वर्ष............

States on affirmation .....शपथपूर्वक... my name is ...अभिलाष दास ....

Son of ... ..श्री .भास्कर चंद्र दास .. Occupation . उपशाखा प्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ....

Address .... चंदनानी भवन नेताजी होटल के पीछे, कटोरा तालाब, रायपुर छ0ग0 ......

<u>साक्षी को शपथ दिलायी जाकर आज दिनांक 24.10.2024 को समय 12:35 बजे परीक्षण प्रारंभ किया गयाः–</u>

<u>//मुख्य परीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री एस.एस. ठाकुर वास्ते परिवादी//</u>

01. मैं वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बैरन बाजार रायपुर में उपशाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूं। मुझे प्रकरण से संबंधित समंस प्राप्त होकर बैंक का दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भारतीय स्टेट बैंक का चेक जिसका क्रमांक 161469 जिसकी राशि 10,00,000/–रूपये है, जिसका अकाउंट स्टेटमेंट प्र.पी. 03 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

<u>//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री ऋषभ गर्ग वास्ते आरोपी //</u>

02. मैं उक्त बैंक शाखा में वर्ष 2022 से पदस्थ हूं। यह कहना सही है कि प्र.पी. 03 के दस्तावेज में चेक अनादरण का कारण उल्लेखित नहीं है। यह कहना गलत है कि उक्त दस्तावेज फर्जी रूप से तैयार किया गया है।

03. मैं जून 2018 से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जवाहर शाखा में पदस्थ था, जिसे मैनें जुलाई 2021 में छोड़कर महासमुंद शाखा में अपना कार्यकाल प्रारंभ किया। यह कहना सही है कि प्र.पी. 03 के स्टेटमेंट में जो ट्रांजेक्शन इंद्राज है, उसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

04. यह कहना सही है कि प्र.पी. 03 में ''डायनेमिक इंजी.'' नामक जो एंट्री है, उनके के.वाई.सी. के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

पुनः परीक्षण

05. कुछ नहीं

<u>परीक्षण समाप्त 12:50 तक</u>

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशानुसार टंकित।

सही/–
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर (छ.ग.)

सही/–
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर (छ.ग.)